प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

वार्ड का नामः वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगर– हल्द्वानी–काठगोदाम में राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए प्रस्तावित ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण पर वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड) में दिनांक ....को सम्पन्न बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी को आवेदित वन भूमि का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं? उपस्थित सभी वार्ड वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा नहीं है, और न ही कृषि कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर वार्डवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

बैठक में उक्त चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड) के निवासियों को राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना वार्ड की सीमा से लगी 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि में किये जाने हेतु इस भूमि का हस्तान्तरण राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी **(चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** को किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/–
मेयर
MAYOR
Municipal Corporation
Haldwani-Kathgodam

ह0/– 09/09/2020
पार्षद
नरेन्द्र सिंह बगडवाल (नीरज)
पार्षद वार्ड नं० 53, मुखानी तृतीय
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम